दिनांक 23 मई 2020

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान प्रतिबंधित दुकानों को खुला रखने पर वसूला गया जुर्माना, समय सीमा के बाद भी संचालित करने वाले दुकानों पर की गई कार्यवाही

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 22 श्याम नगर में आज एक होटल व्यवसायी पर कार्रवाई की गई! निगम भिलाई की टीम ने आज संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किए और ऐसे दुकान जो समय सीमा के बाद भी खुले पाए गए उनसे जुर्माना वसूल किया गया तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले एवं प्रतिबंध के बावजूद खुला रखने पर होटल संचालकों पर भी कार्यवाही की गई! निगम की टीम ने आज एप्रोच रोड, लिंक रोड, गौरव पथ, सर्कुलर मार्केट, सुभाष सब्जी एवं फल मार्केट, जवाहर मार्केट, 18 नंबर रोड आदि का निरीक्षण किया! टीम जब श्याम नगर पहुंची तो पाया गया कि एक होटल व्यवसायी द्वारा बहुत सारे कर्मचारियों से संपूर्ण लॉक डाउन के दौरान मिठाई बनाने का कार्य कराया जा रहा है, जहां पर महिलाएं एवं पुरुष बिना मास्क के कार्य कर रहे थे , न हीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था , 20 मजदूर मिठाई बनाने के कार्य में लगे हुए थे! होटल संचालक संतोष कुमार से निगम के सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर ने 25000 रुपए अर्थदंड लगाया और तत्काल काम को रुकवाया गया! इसी प्रकार समय सीमा के बाद भी सब्जी का व्यवसाय करने वाले लिंक रोड व्यवसायी से 1000 अर्थदंड वसूला गया , जोन क्रमांक 4 के सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू द्वारा गौतम नगर सुभाष मार्केट , छावनी चौक, नंदनी रोड एवं खुर्सीपार गेट का निरीक्षण किया गया इस दौरान तय समय के बाद भी सब्जी का व्यवसाय करने वाले 17 सब्जी व्यवसायियों से जुर्माना वसूल किया गया, निरीक्षण के दौरान समय सीमा के बाद भी सब्जी व्यवसाय करते हुए रोहित जयसवाल से 100 रुपए, मुस्तफा से 200 रुपए, रामा से 100 रुपए, रामधन से 200 रुपए, ओमप्रकाश से 200 रुपए, राहुल से 100 रुपए, मुकेश जायसवाल से 200 रुपए, जितेंद्र से 200 रुपए, कुमारी देवांगन से 200 रुपए, चेतराम से 200 रुपए, मोहनलाल लहरें से 100 रुपए, भैयालाल से 100 रुपए, मुन्ना से 100 रुपए, राधिका से 100 रुपए, ललिता यादव से 200 रुपए, अनीस अहमद से 200 रुपए, सुमन पटेल से 200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया! नियमों का उल्लंघन करके दुकान

खोलने वाले दुकानदारों पर जोन 02 के टीम ने भी अर्थदंड की कार्यवाही की। इस दौरान बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया। लाकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। जोन 02 के राजस्व विभाग की टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 व्यापारियों से 3600 अर्थदंड वसूलने की की कार्यवाही किए। निगम के सभी जोनों के राजस्व विभाग की टीम , निर्धारित समय सीमा के बाद दुकान न खोले इसका निरीक्षण किए। निगम की टीम बाजार क्षेत्र , दुकानों व ग्राहकों की निरंतर निरीक्षण कर रही है। जोन 02 के राजस्व विभाग की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किए जहां निर्धारित समय के बाद दुकान खुला हुए पाए जाने पर कार्यवाही किए। जोन 02 के एआरओ संजय वर्मा ने निरीक्षण के दौरान फौजीनगर में एक मिष्ठान दुकान खुला पाया गया जिससे 2000 रूपए अर्थदंड वसूला गया, घासीदास नगर में 2 किराना स्टोर्स से 500-500 रूपए, एकता नगर चौक मे 2 बजे टेबल लगाकर मिक्सचर बेचने वाले से 500 रूपए तथा दो फल ठेले वालों से 50-50 रूपए अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की गई।